न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 73/2019 राजस्व अपील

1. सुभाष पुत्र रामखिलाडी } जाति गुर्जर निवासी राणोली
2. कालू पुत्र श्रीनारायण } तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राज. सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार उप तहसील बहरावण्डा निर्णय दिनांक 16.08.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम सुभाष वगैराह, प्रकरण सं. 46/2018 अ.धारा 91 राज. लै. रे. एक्ट

उपस्थिति : श्री निर्मल कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री चन्द्रशेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

दिनांकः 01.01.2020

—: निर्णय :—

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 697/104 रकबा 0.30 हैक्टेयर किस्म चरागाह वाके रामा राणोली तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है। उप तहसीलदार बहरावण्डा ने अपीलान्ट्स के विरूद्ध दिनांक 16.08.2018 को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलान्ट्स अतिक्रमी को कब्जा शुदा आराजी से बेदखल करने एवं लगान दर 2.70 का पचास गुणा शास्ति 135/—रूपये आरोपित करते हुए वास्ते कायम वसूली, बेदखली एवं फसल नीलामी के आदेश पारित कर दिये तथा अतिक्रमी अपीलान्ट्स का अतिक्रमण शुदा भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए 90 दिन के सिविल कारावास से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 16.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उक्त भूमि का स्वरूप चरागाह जैसा नहीं रहा है। इस भूमि पर अपीलान्ट्स का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अपीलान्ट्स ने किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का द्वारा झूंठी मौका रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं मौके की वास्तविक स्थिति का अवलोकन नहीं करते हुए निर्णय पारित कर किया है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपील स्वीकार फरमायी जाकर उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 16.08.2018 मुकदमा नम्बर 46/2018 उनवानी सरकार बनाम सुभाष वगैराह निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया।

प्रति जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स ने संवत 2075 में ग्राम राणोली में स्थित भूमि खसरा नम्बर 697/104 रकबा 0.30 है. पर बाजरे की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिकमी को अतिकमित आराजी से दिनांक 16.08.2018 को बेदखल कर, पेनल्टी कायम करने के साथ ही तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमायी जाकर एवं उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 16.08.2018 को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं जिरह का अवसर दिया जाकर ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट्स ने संवत 2075 में ग्राम राणोली में स्थित भूमि खसरा नम्बर 697/104 रकबा 0.30 है. पर बाजरे की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 16.08.2018 में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। मुकदमा नम्बर 46/2018 उनवानी सरकार बनाम सुभाष वगैराह में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 01.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official